

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

विभागीय वेबसाइट
E-mail

पत्रांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-80/2021-Part-V-1432350/ पटना, दिनांक-16/06/2021
प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना, बिहार।

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सुपौल एवं अररिया।

विषय: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत दिनांक-16-06-2021 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

महाशय,

विषयांकित दिनांक-16-06-2021 को संपन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न कर भेजते हुए निदेश दिया जाता है कि आवंटित कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अगले दो दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार को कार्यादेश (Letter of Acceptance) निर्गत करें।

निदेश है कि जिन-जिन निविदाकार को आपके द्वारा कार्यादेश निर्गत किया जा रहा है उसकी एक प्रति ज्ञापन लगाकर ब्राडा को मेल के द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यादेश निर्गत करने के अगले दस दिनों के अन्दर संबंधित निविदाकार के साथ एकरारनामा करते हुए तत्क्षण एकरारनामा की विवरणी OMMAS पर Upload कराना भी सुनिश्चित किया जाय। इस प्रगति से भी ब्राडा को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

निर्धारित समय सीमा में निर्दिष्ट कार्य का पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन
16/6/21

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-80/2021-Part-V-1432350/ पटना, दिनांक-16/06/2021

प्रतिलिपि: अनु० के साथ मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा एवं किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/6/21

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-BRRDA(HQ)-PMGSY-80/2021-Part-V-1432 / पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि: IT प्रबंधक, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/6/21

अभियंता प्रमुख

AKS

बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग

दिनांक— 16.6.2021 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :—

श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA।

श्री संजय दूबे, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी—सह—सचिव, BRRDA।

श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग।

2. बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत e-tendering के माध्यम से प्राप्त की गयी 02 निविदाओं के तकनीकी बीड पर संबंधित अधीक्षण अभियंताओं की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड समिति द्वारा तकनीकी बीड में योग्य किये गये निविदाकारों के वित्तीय बीडों [जो संचिका संख्या—BRRDA(HQ)-PMGSY-80/2021-Part-V के पत्राचार खण्ड के पृष्ठ—543 से 520 पर रक्षित] के प्रस्ताव पर विचार हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित किया गया, जिन पर सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिया गया :—

Summary of Financial Bids												
Sl. No.	Division	Group No. / Package No.	Name of Road/Bridge	Date of Tender Received	AA Amount (in lacs)	Total Bidders	No. of Tech. Qualified Bidders	Lowest Bidder's Name	Bid Amt. (Rs. In Lacs) Total Cost	Quoted Rate (%)	Tender Award Amount (in lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15
1	Supaul	BR-35R-201	L053-T05 to Kadam (TRACK20)2nd km (Tender Id-109092)	05.05.2021	756.240	1	1	M/S THAKUR CONSTRUCTION	350.50609	(-)0.01	350.47104	पुनर्निविदा अतः स्वीकृत।
2	Araria	BR01P2R-32	T01-UFRAIL CHOWK TO BILLATEYBARI VIA TIRACONSTRUCTION OF HL BRIDGE AT CH-19.80KM NEAR DAHGMA MIDDLE SCHOOL (Tender Id-109093)	05.05.2021	756.240	4	3	M/S KAMAL CONSTRUCTION	111.49585	(-)19.93	89.27473	स्वीकृत।

3. स्वीकृत निविदाओं के कार्य आवंटन आदेश निर्गत करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो लेंगे:—

- इन योजनाओं पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित है। यदि परिमाण विपत्र की राशि मूल प्रशासनिक अनुमोदन की राशि से 20% अधिक है, तो पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
- PMGSY SBD (ITB) की कंडिका-16 के आलोक में वांछित अग्रधन की राशि विहित प्रपत्र जैसा है।
- पैकेज संख्या, पथ/पुल का नाम, परिमाण विपत्र की राशि, तकनीकी स्वीकृति की राशि, संवेदक द्वारा उद्धृत दर, Bid Capacity आदि सही है।

- (iv) संवेदक Defaulter/ काली सूची/कार्यों को लंबित रखने वाले संवेदकों की सूची में नहीं है।
4. एकरारनामा के पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता निविदा में सभी अभिलेख की मूल प्रति से सत्यापित कर संतुष्ट हो लेंगे।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता, एकरारनामा (PMGSY SBD की GCC) की सभी कंडिकाओं के अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु साप्ताहिक अन्तराल पर कार्यों का भौतिक पर्यवेक्षण करेंगे तथा मुख्य रूप से निम्न कंडिकाओं को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे:-
- (i) संवेदक के द्वारा कार्यों को Sublet करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा संवेदक के द्वारा किसी भी परिस्थिति में कार्य के 25% से अधिक की राशि का कार्य Sublet नहीं किया गया है। (कंडिका-7)
- (ii) संवेदक द्वारा कार्य के लिये निविदा में निर्धारित कर्मियों को स्थल पर प्रतिनियुक्त किया गया है। (कंडिका-9)
- (iii) Contractor's Risk के अन्तर्गत आने वाले मदों के लिये निर्धारित अवधि के लिये नियोक्ता एवं संवेदक के संयुक्त नाम से बीमा करा लिया गया है। बीमा पॉलिसी एवं बीमा कराने का प्रमाण पत्र संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (कंडिका-13)
- (iv) निविदा में निर्धारित Key Equipments/Machinery स्थल पर उपलब्ध करा दिया गया है। (G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-15)
- (v) संवेदक द्वारा ग्रामीण पथों/पुलों के लिए निर्धारित विशिष्टियों और अनुमोदित नक्शा के आलोक में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता के निर्देशानुसार अतिरिक्त यंत्र-संयंत्र एवं कर्मी कार्य स्थल पर लगाया गया है। (कंडिका-16)
- (vi) Work Programme समर्पित किया गया है। (कंडिका-17)
- (vii) कार्य स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है तथा उसमें निविदा में निर्धारित उपकरण उपलब्ध है। (कंडिका-31.1 एवं G.C.C. के contract data का क्रम संख्या-18)
- (viii) संवेदक से कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण न किये जाने पर संवेदक से एकरारनामा के अनुसार Liquidated Damages वसूल किया जा रहा है। (कंडिका-44.1)
- (ix) संवेदक के द्वारा "As Built" Drawing आवश्यकतानुसार संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जा रहा है। (कंडिका-51)
- (x) संवेदक द्वारा बिना अनुमति एवं पूर्व सूचना के कार्य को 28 दिनों से अधिक अवधि तक बंद नहीं रखा जा रहा है। [कंडिका-52.2 (a)]

AS

✓

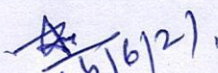
8/16/2024

(xi) संवेदक को कार्य सुधार के लिए दिये गये निदेश के आलोक में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। [कंडिका-52.2 (c)]

(xii) संवेदक द्वारा आवश्यकतानुसार प्रतिभूतियों का Extension कराया जा रहा है। [कंडिका-46.2 & 52.2(d)]

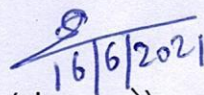
6. अधीक्षण अभियंता पर्यवेक्षण के उपरांत साप्ताहिक अन्तराल पर उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRRDA को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी विचलन की स्थिति में एकरारनामा के शर्तों के आलोक में तत्काल कार्रवाई की विवरणी भी प्रतिवेदन में देंगे।
7. निविदा निष्पादन के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाए।
8. कार्य आवंटन आदेश में संवेदक का निबंधन संख्या, पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या अवश्य अंकित किया जाए।
9. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता 24 घंटे के भीतर कार्य आवंटन आदेश निर्गत कर इसकी प्रति संबंधित मुख्य अभियंता एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, BRRDA को उपलब्ध कराएंगे।




(अशोक कुमार मिश्रा)

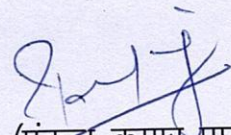
अभियंता प्रमुख,

 ग्रा0 का0 वि0


16/6/2021

(संजय दूबे)

अपर मुख्य कार्यपालक
पदाधिकारी-सह-सचिव,
BRRDA



(पंकज कुमार पाल)

सचिव, ग्रा0का0वि0-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
BRRDA